संख्या: 300


























3 कौशल के माध्यम से ग्रामीण युवा बेरोजगारी का निपटान

## विषय-सूची

7

सीजीजी एवं पीए, एनआईआरडीपीआर ने कोविड़ - 19 को फैलने से रोकने के लिए किया जोखिम संचार पर टीओटी कार्यक्रम का आयोजन

8 योग्य आजीविका और जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूलन पर दो सप्ताह का ई-प्रशिक्षण

9 आजीविका के पुनः प्रवर्तन पर एनआईआरडीपीआर और आईएसएलई ने किया वेबिनार का आयोजन 10

छात्रों में सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए ग्रामीण तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना

12 पंद्रहवां वित्त आयोग और पंचायत राज संस्थान को अनुदान 15

देवनाथ भाटी के अनुसार, उद्यमिता अर्थात् ' कभी भी हार न मानना '

16
एनआईआरडीपीआर के साथ कपार्ट का
विलय; अब यह एनआईआरडीपीआर दिल्ली शाखा बनी









### कौशल के माध्यम से ग्रामीण युवा बेरोजगारी का समाधान

" अड़ोस-पड़ोस की अधिकतम बेरोजगारी के परिणाम स्वरूप उन अड़ोस-पड़ोस की गरीबी की अधिकता की तुलना में अधिक घातक हैं... आज के समय में आंतरिक शहर बस्ती-अपराध, पारिवारिक विघटन, कल्याण, सामाजिक संगठन के निम्न स्तर आदि जैसी कई समस्याएं मूल रूप से काम के लुप्त होने के परिणामस्वरूप हैं "

### - विलियम जूलियस विल्सन, वेन वर्क डिसअपियर्स, 1996, पीपी. Xiii.

मजदूर वर्ग और उनके कार्यकलापों की उपलब्धियों का समारोह मनाने के लिए मई की पहली तारीख को हर साल दुनिया भर में मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। भारत में मजदूर दिवस पहली बार 1 मई, 1923 को मनाया गया था। लेकिन 2020 का मई दिवस शायद ही भारत के 400 मिलियन से अधिक कार्यबल के किसी भी श्रमिक को शामिल नहीं कर सका है और

न ही यह उनके जीवन के किसी भी हिस्से को छू सकता है। अफसोस की बात है कि यह वैश्विक महामारी कोविड़ -19 और बाद में लंबे समय तक लॉकडाउन एक ही साथ हुआ। श्रमिकों के उनके अधिकारों, न्याय और सभी प्रकार के शोषण तथा भेदभाव से मुक्त करने के लिए संघर्ष आंदोलनों को याद करने हेतु यह दिन मनाया जाता है, दुनिया भर के देशों में कोविड - 19 के कारण काम

करने वाले वर्ग की संवेदनशीलता और दुर्दशा की अलग-अलग स्थितियां देखी गई। कोविड के चलते लॉकडाउन से श्रम बाजार में संभावित परिणामों की अधिकता को बढ़ा सकती है, जिसका सामान्यतः श्रमिकों और विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

पिछले 10 वर्षों में, ग्रामीण भारत पहले से ही कृषि

संकट और आर्थिक संकट से गुजर रहा था। नवीनतम उपलब्ध रोजगार आँकड़े (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण: पीएलएफएस - 2017-18) के अनुसार 2011-12 / 2017-18 की अवधि के दौरान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सभी व्यापक क्षेत्रों में मंदी या नकारात्मक रोजगार वृद्धि दर की विभिन्न स्थितियां दर्ज की गयी। ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र के कुछ उप-क्षेत्रों ने सकारात्मक रोजगार वृद्धि दर

प्रचलित कोविड़ उन्मुख लॉकडाउन श्रम बाजार में संभावित परिणामों की अधिकता को बढ़ा सकती है, जिसका सामान्यतः श्रमिकों और विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा

> दर्ज की, लेकिन निर्माण क्षेत्र, जो ग्रामीण रोजगार का एक बड़ा हिस्सा था, को भी गंभीर झटका लगा। ग्रामीण महिला श्रम शक्ति की भागीदारी दर में गिरावट जारी है।

> यह 2004-05 में 33.3 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 25.3 प्रतिशत और 2017-18 में 18.2 प्रतिशत हो गया। 2017-18 के दौरान, हमने विशेष

रूप से युवाओं के लिए बेरोजगारी दर का उच्च परिमाण देखा। भारत के मामले में युवा बेरोजगारी की समस्या अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि युवा (15 से 29 वर्ष की आयु में) कुल जनसंख्या का लगभग 27.5 प्रतिशत है। ग्रामीण युवाओं का उच्च अनुपात 'रोज़गार शिक्षा और प्रशिक्षण में नहीं' (एनईईटी) की श्रेणी में आता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में निष्क्रिय, बेकार और असंतुष्ट युवाओं के बढ़ते भार को इंगित करता

है। 2017-18 में, 15 से 29 वर्ष की आयु के 40 प्रतिशत ग्रामीण युवा (पुरुष = 13.6 प्रतिशत और महिला = 60.0 प्रतिशत) एनईईटी श्रेणी में थे। इन परिमाणात्मक चुनौतियों के अलावा, ग्रामीण श्रम बाजार में गुणात्मक चुनौतियों हैं जैसे कि अनौपचारिकता की अधिकतम स्थिति, कामकाजी गरीबों का बढ़ता भार, कम वेतन और असुरक्षित नौकरियों की

समस्याएं, कौशल की कमी और बेमेल, संकट से प्रेरित पलायन, खराब कामकाजी परिस्थितियां, लंबे समय तक कार्यकाल, व्यावसायिक खतरों का बढ़ता भार, काम के स्थानों पर अपर्याप्त सुरक्षा उपाय इत्यादि। यदि हम विभिन्न व्यक्तिगत और घरेलू विशेषताओं में कारक हैं, तो ये मुद्दे पर बल देंगे, जैसे - लिंग, आय वर्ग, सामाजिक समूह, शिक्षा और कौशल प्रोफ़ाइल इत्यादि।





युवतियों को ड़ेस डिजाइनिंग और टेलरिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है (फाइल फोटो)

2017-18 की तुलना में आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2018-19 में बेरोजगारी दर और श्रम शक्ति भागीदारी दरों के सुधार में मामूली गिरावट देखी गई। लेकिन कोविड़ -19 को फैलने से रोकने के लिए लंबे समय तक लॉकडाउन के कारण इन प्रवृत्तियों को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रों में नौकरी जा सकती है।

### ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार की चुनौतियां

ग्रामीण रोजगार और श्रम बाजार के परिणामों पर कोविड़ -19 के पूर्ण प्रभावों का आकलन करने के लिए कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। लेकिन अप्रत्यक्ष और छन्न साक्ष्यों के आधार पर, हम सामान्य रूप से ग्रामीण श्रम बाजार में और विशेषतया ग्रामीण युवाओं के लिए निम्नलिखित संभावित परिवर्तनों की पृष्टि कर सकते हैं:

- ı) ग्रामीण श्रम आपूर्ति बढ़ेगी, क्योंकि लाखों प्रवासी श्रमिक अपने गंतव्य को लौट गए हैं;
- ii) श्रम की आपूर्ति में वृद्धि के साथ, बाजार मजदूरी की दर कम हो सकती है;
- iii) काम बंदी तथा नौकरी का नुकसान और अगर लॉकडाउन बढ़ाया जाता है तो यह आगे बढ़ सकता है:
- iv) संविदात्मक / अनियमित / दैनिक मजदूर सबसे अधिक प्रभावित होंगे;
- v) औसत आठ घंटे के काम के लिए एक ही वेतन या कम वेतन के साथ लंबे समय तक काम करना और मजदूरी भुगतान में देरी;

vi) अनौपचारिकता बढ़ेगी और महिलाओं तथा वंचित सामाजिक समूहों जैसे कि एससी, एसटी, विकलांग व्यक्ति, सड़क विक्रेता, छोटे दुकानदार, सूक्ष्म उद्यम आदि, गंभीर नकारात्मक प्रभावों का सामना करेंगे;

- vii) शहरों और कस्बों में श्रमिक अड्डे, जो ग्रामीण कम कुशल प्रवासी दैनिक वेतन श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करते थे, सामाजिक-दूरी और लॉकडाउन के कारण गैर-परिचालन में रहेंगे;
- viii) ग्रामीण युवाओं के बीच एनईईटी के भार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी;
- ix) ग्रामीण श्रम आपूर्ति में वृद्धि के साथ, हम सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रमों जैसे कि मनरेगा की मांग में वृद्धि देख सकते हैं;
- x) पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आवास सहित ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ेगा;
- xi) घरेलू स्तर पर, स्वास्थ्य, शिक्षा पर जेब खर्च में वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप कर्जदारी होगी। हमें आशा है कि कोविद-19 की उलझन, देरी के बजाय जल्द ही कम हो जाएगी, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल जो हमें काफी समय से परेशान कर रहा है वह यह कि हम प्रतिकूल स्थितियों को कैसे पराजित कर सकते हैं?

शिक्षा और कौशल के निम्न स्तर और रोजगार अवसरों की अपर्याप्त पहुंच के मामले में, ग्रामीण युवा अपने शहरी समकक्षों की तुलना में पहले से ही एक असुविधाजनक स्थिति में हैं। कोविद-19 के चलते लॉकडाउन ने ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के परिदृश्य को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं की आबादी में अचानक वृद्धि देखी है, क्योंकि लाखों युवा प्रवासी लौट आए हैं। लॉकडाउन की अविध और आर्थिक गतिविधियों को पूर्वरूप में लाने और फिर से प्रारंभ करने के लिए सरकार की प्रतिक्रियाएं युवाओं पर प्रभाव का परिमाण तय करेगी। हालाँकि, छोटी अविध और मध्यम अविध में, हम देख सकते हैं:

- गुवाओं के लिए अस्थायी या स्थायी कार्य का नुकसान
- ii) युवा कम वेतन वाले काम कर रहे हैं
- iii) नए काम के लिए प्रतीक्षा में वृद्धि
- iv) बेरोजगारी अवधि और दर में वृद्धि
- v) रोजगार प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति पर व्यावसायिक कौशल, प्रशिक्षण और उद्यमिता योजनाओं और प्रशिक्षुता, इंटर्निशिप की आवश्यकता में वृद्धि
- vi) सूक्ष्म, लघु इकाइयों और ग्रामीण स्टार्ट-अप के बंद होने या प्रभावित होने की घटनाओं में वृद्धि।

आजीविका संकट के अलावा, युवाओं को उनकी शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य में चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। इस महामारी के दौरान, शैक्षणिक / शिक्षा सत्रों में देरी हो रही है; उच्च शिक्षा क्षेत्र में खराब गुणवत्ता और अनिश्चितता के कारण श्रम बाजार में प्रवेश में देरी होगी। घरेलू आय में गिरावट के साथ, हम स्कूल से बच्चों की वापसी, भोजन के खर्च में कमी के परिणामस्वरूप भी कुपोषण को देख सकते हैं। ऐसे परिदृश्य में, लडिकयों सहित घर की महिलाएँ बहुत अधिक



प्रभावित होंगी। श्रम बाजार और शिक्षा क्षेत्र में अनिश्चितताओं के कारण, कोविड़ - 19 युवाओं के लिए स्वास्थ्य चुनौतियां जैसे कि चिंता, अवसाद और अन्य मनो-सामाजिक विकार भी पैदा कर सकता है। कुछ युवा नशा और असामाजिक गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं। कोविड़ - 19 के दौरान ग्रामीण युवाओं को एक बहुआयामी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और यह युवाओं को मुख्यधारा में लाने और उन्हें बेहतर एवं अधिक टिकाऊ ग्रामीण विकास के परिणाम के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को अद्यतन बनाने में महत्वपूर्ण होगा।

### युवा संकट के समाधान हेतु उपाय

ग्रामीण युवा संकट का समाधान करने के लिए, जैसा कि उपरोक्त में बताया गया है, हमें निम्नानुसार एक बहु-आयामी रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है:

#### कौशल पर निवेश:

कौशल पर निवेश करने की तत्काल आवश्यकता है, नवीन कौशल कार्यक्रमों की रूपरेखा में नए परिदृश्यों की मांग को पूरा करने के लिए अपस्किलिंग, रीस्किलिंग और अप्रेंटिसशिप पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है। डीडीयू-जीकेवाई, पीएमकेवीवाई जैसे हमारे प्रमुख कौशल कार्यक्रमों को फिर से अवलोकित करने की आवश्यकता है और कोविड़ -19 से आयी अभूतपूर्व चुनौतियों के जवाब में पुनर्विन्यास करना आवश्यक है। केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, निजी क्षेत्रों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा बड़ी संख्या में कौशल कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन सभी कार्यक्रमों को एक मंच के अंतर्गत लाया जाना चाहिए और बेहतर परिणामों के लिए एक एकीकृत टैकिंग प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

### कौशल मानचित्रण और कौशल अंतराल विश्लेषणशुरूकरनाः

युवा और वापस लौटे प्रवासियों पर विशेष ध्यान देकर कौशल मानचित्रण और कौशल अंतराल विश्लेषण शुरू करने का यह सही समय है। बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में इस तरह के कौशल मानचित्रण अभ्यास, विशेष रूप से वापस लौटे प्रवासियों के लिए पहल की जा चुकी है। इन श्रमिकों को विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं में समायोजित करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीनरेगा) और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र। लेकिन केवल सरकारी कार्यक्रमों में विविध कौशल समूह वाले श्रमिकों को समायोजित करना मुश्किल होगा। कुशल श्रमिकों को समायोजित करने के लिए निजी विभागों को भी आगे आना होगा।

### उद्यमशीलता को बढ़ावा देना:

चूंकि नए रोजगार सुजन की मांग में कमी है, इसलिए स्व-रोजगार उपक्रम, उद्यमिता और स्टार्ट-अप की भारी मांग होगी। इसलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ उठाने की आवश्यकता है। हालांकि, इन कार्यक्रमों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि घरेल मांग कितनी जल्दी उठेगी। महिलाओं, युवाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए अनुकुलित योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। मुद्रा ऋण, स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम (एसवीईपी), इत्यादि की व्याप्ति और पहँच का लाभ उठाना चाहिए। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एमएसएमई मंत्रालय ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में उद्यमशीलता को आगे बढाने और स्थानीय एवं कच्चे उत्पादों के माध्यम से विनिर्माण में मदद करने के लिए कृषि एमएसएमई श्रेणी बनाने पर काम कर रहा है। पंचायतों को उद्योग समृह बनने की परिकल्पना भी की गई है।

#### कृषि में युवाओं को शामिल करना:

कृषि के क्षेत्र में काम न करने के लिए विशेष रूप से युवाओं में एक उदासीन रवैया है। लेकिन समकालीन स्थिति निर्वाह कृषि को एक विविध कृषि व्यवसाय में बदलने की मांग करती है और परिवर्तन की यह प्रक्रिया युवाओं द्वारा संचालित की जा सकती है। युवाओं को कृषि में आकर्षित करने के लिए रोबोटिक्स, आईसीटी और नैनोटेक्नोलॉजी की शुरुआत करके इसे एक व्यावसायिक और तकनीक-प्रेमी क्षेत्र में बदलना होगा। कृषि-उद्यमिता, खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य शृंखला विकास भी युवाओं को कृषि में प्रोत्साहित करेंगे। किसानों को उच्च मूल्य वाली कृषि का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए सिंचाई, कोल्ड स्टोरेज, मार्केट लिंकेज, और

मशीनीकरण, अन्य बातों सहित सरकार को इस महत्वपूर्ण कृषि अवसंरचना पर सार्वजनिक निवेश बढ़ाना चाहिए।

### स्नातक एसएचजी:

स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए एक स्नातक योजना तैयार करने की आवश्यकता है तािक यह अधिक स्थानीय रोजगार सृजन करें। इन स्व-सहायता समूहों को कृषि में मूल्य श्रृंखला विकास के माध्यम से आर्थिक रूप से व्यवहार्य और उत्पादक उद्यम के रूप में स्नातक किया जाना है और गैर-कृषि क्षेत्र को किसान उत्पादक समूह, उद्यम विकास, कौशल प्रशिक्षण और डिजिटल वित्त के माध्यम से बड़े मूल्य के ऋण तक पहुंच दिलाना है। हालांकि, मांग के निरंतर स्तर के साथ सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं और बाजारों के लिए एसएचजी उद्यमों की पहचान करना और उन्हें जोडना उनके लिए महत्वपूर्ण होगा।

#### सलाह और संचालन:

ऐसे संकट के समय में, कौशल और उद्यमिता विकास दोनों के लिए युवाओं को परामर्श, सलाह और संचालन का प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण होगा। भारतीय लघ उद्योग विकास (एसआईडीबीआई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) और वाणिज्यिक बैंक सहित कई एजेंसियां हैं जो इन सेवाओं की पेशकश कर रही हैं। लेकिन अब तक, इसकी पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सीमित रही है और इन सेवाओं के बारे में जागरूकता भी कम रही है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फेसबुक के साथ साझेदारी में जनजातीय मामला मंत्रालय ने भारत भर में सलाह के माध्यम से आदिवासी युवाओं के डिजिटल कौशल के लिए 'गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स' (जीओएएल) कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अंतर्गत 5,000 युवा आदिवासी उद्यमियों, व्यावसायियों , कारीगरों और कलाकारों को डिजिटल उद्यमिता कार्यक्रम के तहत डिजिटल कौशल पर प्रशिक्षित किया जाएगा। आदिवासी युवाओं और महिलाओं को अन्य के साथ बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, मधुमक्खी पालन, आदिवासी कला और संस्कृति, औषधीय जड़ी-बुटियों, उद्यमिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में कौशल और ज्ञान प्राप्त करने में मदद करने के लिए कार्यक्रम को दीर्घकालिक परिकल्पना के साथ तैयार किया गया है।



पारंपरिक बुनाई का काम करते हुए ग्रामीण युवा (फाइल फोटो)

#### प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम:

एनआईआरडीपीआर एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और उसके अधिदेश में आजीविका, कौशल और उद्यमिता के लिए प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रमों को सरलीकृत करना है। व्यापक और क्षेत्र विशिष्ट दोनों तरह के प्रशिक्षण मॉड्यूल सहित अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना समय की मांग है। घर से दूर रहने, आर्थिक समस्याओं इत्यादि के कारण ग्रामीण युवकों के मानसिक तनाव, अवसाद, सामाजिक और सांस्कृतिक विसंगतियों, अकेलापन जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए मनोसामाजिक मॉड्यूल को शामिल करना भी महत्वपूर्ण होगा।

### रोजगार कार्यालयों को संशोधित और आधुनिक बनाना:

रोजगार कार्यालयों के आधुनिकीकरण और इन संस्थानों को रोजगार सुजन के जीवंत केंद्रों में बदलने की तत्काल आवश्यकता है। ये एजेंसियां अपने आप को नए रूप से सामने लाने और वर्तमान समय में भारत में नौकरी चाहने वालों की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रही हैं। रोजगार कार्यालयों को एक केंद्र के अंतर्गत पंजीकरण, परामर्श, नौकरी खोज समर्थन, मूल्यांकन और नौकरी मिलान जैसी सभी प्रक्रियाओं को पेश करने के लिए 'वन-स्टॉप जॉब शॉप' के रूप में काम करना चाहिए। रोजगार कार्यालयों को आधुनिक तकनीकों को अपनाना चाहिए और अपने प्रसार कार्यक्रमों एवं नौकरी मेलों का विस्तार करना चाहिए। यवाओं को रोजगार कार्यालय और उसकी सेवाओं से जोड़ने में ग्राम पंचायत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

### नियोजन एजेंसियों की भूमिका:

श्रम बाजार के मध्यस्थों या नियोजन एजेंसियों ने विभिन्न रोजगार के अवसरों की पेशकश की है और इच्छुक नौकरी चाहने वालों के कौशल जैसी सेवाएं देने की क्षमता भी रखती है। अधिक रोजगार सृजन की बढ़ती आवश्यकता के संदर्भ में, निजी नियोजन एजेंसियों (पीपीए) के सकारात्मक योगदान को शायद ही कम करके आंका जा सकता है। ग्रामीण युवाओं पर अधिक ध्यान देने के साथ बड़ी संख्या में सार्वजनिक और निजी नियोजन एजेंसियों को संचालित किया जाना चाहिए, और इन एजेंसियों को एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए और बेहतर परिणामों के साथ मिलकर काम करना चाहिए।

#### प्रवासन सहायता केंद्र:

कोविड़ अवधि के दौरान और उसके बाद, स्रोत और गंतव्य स्थलों दोनों पर प्रवासन सहायता केंद्रों (एमएससी) की भूमिका प्रवासी श्रमिकों को फिर से विश्वास दिलाने के लिए महत्वपूर्ण होगी।

### युवा पृथक डेटाबेस:

युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले व्यापक और नीति-संवेदनशील डेटाबेस विकसित करना महत्वपूर्ण है, जिसे उनकी पहचान बनाने, आवश्यकताओं को समझने और हस्तक्षेप को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जा सकता है।

### युवा-हितैषी ग्राम पंचायत और जीपीडीपी:

चंकि एनईईटी की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक तीव्र है और इसने कोविद के बाद इसमें तेजी आई इसलिए ग्रामीण युवाओं को होने वाली कठिनाइयों और चनौतियों के परिमाण का आकलन करना और उन्हें समग्र ग्रामीण विकास रणनीति में मुख्यधारा में लाना आवश्यक है। ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) ग्रामीण युवाओं की आवश्यकताओं की रूपरेखा और मानचित्रण में प्रत्यक्ष भूमिका निभा सकती है और संसाधन आबंटन को प्राथमिकता देने और उन्हें कौशल, प्रशिक्षण, उद्यमशीलता और आजीविका प्रदान करने में मदद करने के लिए एक तंत्र ढुंढती है । सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में युवाओं को मुख्यधारा में लाना भी महत्वपूर्ण है। युवा-हितैषी जीपीडीपी बनाते समय, ग्राम सभा में कुछ प्रश्न / मुद्दे उठाए जा सकते हैं और उन पर चर्चा की जा सकती है, जैसे कि जीपीडीपी की तैयारी करते समय युवाओं की ज़रूरतों का ध्यान रखा गया है या नहीं; जीपीडीपी में परिकल्पित युवाओं की श्रेणी और सीमा क्या है; ग्रामीण युवाओं के लिए परिकल्पित कौशल और उद्यमिता विकास बनाने में मुख्य बाधाएँ क्या हैं; क्या यह स्थायी है; इत्यादि। इस प्रकार, ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) वास्तव में ग्रामीण विकास रणनीतियों और आर्थिक नीतियों में ग्रामीण युवाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए एक प्रभावी उपकरण हो सकती है।

उपरोक्त चर्चा के संक्षिप्त विवरण में, नीति, प्रोत्साहन संरचनाओं से संबंधित समग्र सक्षम वातावरण, और

> मानव पूंजी अवसंरचना में सुधार, सिक्रिय श्रम बाजार नीतियां, कैरियर परामर्श, व्यावसायिक प्रशिक्षण, नौकरी खोज सहायता, बेहतर ऋण तक पहुंच, प्रशिक्षण और कौशल और प्रभावी समाज और नियामक तंत्र अर्थव्यवस्था की गतिविधियों के सभी

क्षेत्रों में युवाओं की भागीदारी को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ग्रामीण भारत के प्रत्येक युवा तक पहुंचने और नए सिरे से वार्तालाप शुरू करने का यही समय है। जैसा कि एक ब्रिटिश राजनेता और यूनाईटेड किंगडम के पूर्व प्रधान मंत्री बेंजामिन डिसरायली ने ठीक ही कहा है: एक राष्ट्र के युवा भावी पीढ़ी के अभिभावक होते हैं।

### डॉ. पार्थ प्रतिम साहू एसोसिएट प्रोफेसर

उद्यमिता विकास और वित्तीय समावेशन केंद्र (सीईडीएफआई), एनआईआरडीपीआर आवरण पृष्ठ की रचना: श्री वी.जी. भट्ट

ग्रामीण भारत के प्रत्येक युवा तक पहुंचने और नए सिरे से वार्तालाप शुरू करने का यही समय है

### सीजीजी एवं पीए, एनआईआरडीपीआर ने कोविड़ - 19 को फैलने से रोकने के लिए किया जोखिम संचार पर टीओटी कार्यक्रम का आयोजन









# COVID-19

Training of Panchayath Presidents, BDOs, SRLM team & Swachagrahis of Sikkim State on Risk Communication for Prevention of Spread of COVID-19

1st May, 2020

### प्रशिक्षण कार्यक्रम का डिजिटल पोस्टर

1 मई, 2020 को सुशासन और नीति विश्लेषण केंद्र (सीजीजीएवंपीए), एनआईआरडीपीआर ने संचार अनुसंधान इकाई - राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान और यूनिसेफ हैदराबाद क्षेत्र कार्यालय के सहयोग से पंचायत के अध्यओं, बीडीओ, एसआरएलएम टीम और सिक्किम के स्वच्छग्राहियों को प्रशिक्षित करने के लिए 'कोविड़ - 19 को फैलने से रोकने के लिए जोखिम संचार' पर एक वेबिनार टीओटी कार्यक्रम का आयोजन किया।

प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, डॉ. ज्ञानमुद्रा, सीजीजीएवंपीए और निदेशक, सीआरयू, एनआईआरडीपीआर ने वेबिनार में प्रतिभागियों का स्वागत किया। डॉ. डब्ल्यू. आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने अपने उद्घाटन भाषण में प्रतिभागियों को कोविड - 19 को फैलने से रोकने के मद्देनजर सावधानी बरतने के लिए कहा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कोविड - 19 महामारी के दौरान सभी सरकारी अधिकारियों को लॉकडाउन के बाद कोविड़ - 19 महामारी के लिए कार्रवाई की योजना के बारे में पहले से अच्छी तरह से सोचने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकांश प्रवासी मजदर अपने राज्यों में वापस आने लगे हैं। इस हालत में, सभी सरकारी विभागों को कोविद - 19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए संभावित सकारात्मक समाधानों के साथ तैयार रहना होगा।

श्री. सी. एस. राव, प्रधान सचिव, पंचायती राज

और ग्रामीण विकास, सिक्किम ने सही समय पर सरकारी अधिकारियों के लिए इस तरह के कार्यक्रम का संचालन करने के लिए सीजीजी एवं पीए, एनआईआरडीपीआर को धन्यवाद दिया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि (1 मई, 2020 तक) सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसमें कोई भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि महानिदेशक ने सुझाव दिया है, वे पहले ही सिक्किम के प्रवासियों के वापस लौटने के बाद पोस्ट-लॉकडाउन के पश्चात् कार्य योजना पर काम कर रहे हैं।

समस्या प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण, पृष्ठभूमि और छोटी गतिविधि के उद्देश्य पर भूमिका के साथ वेबिनार शुरू किया गया था। वेबिनार में मुख्य रूप से कोविड़ - 19, वायरस संचरण के तरीके और इसके फैलने, प्रमुख व्यवहार, रोकथाम जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया है: घर पर और समुदाय में सुरक्षित व्यवहार, हाथों की सफाई, क्या करें और क्या न करें, सामाजिक दूरी, श्वसन संबंधी स्वास्थ्य-रक्षा, उच्च जोखिम समूहों पर विशेष ध्यान, संदिग्ध या पृष्टि मामलों के लिए महत्वपूर्ण व्यवहार, पूर्व-रोगसूचक मामलों के होम क्वारटाइन के लिए दिशा-निर्देश, पोस्ट-लॉकडाउन सरक्षा उपाय, पोस्ट-लॉकडाउन: भय. चिंता और संदेह के लिए संभावित प्रतिक्रिया के बिंद्र, कोविड - 19 के लक्षण और विवेकबद्धि, मनो-सामाजिक महे: किसको प्राथमिकता / लक्ष्य बनाना है? स्वच्छ ग्राहियों और पंचायत अध्यक्षों पर विशेष ध्यान क्यों? पंचायत सभापित, बीडीओ, एसआरएलएम टीम और स्वच्छ ग्राहियों की भूमिका। कोर्स टीम ने इस शिक्षा को अगले स्तर तक ले जाने के लिए प्रतिभागियों के साथ उपलब्ध सामग्री भी साझा की। टीम ने प्रतिभागियों के सवालों का जवाब दिया और वेबिनार सत्र का समापन डॉ. के. प्रभाकर, सहायक प्रोफेसर, सीजीपीए के धन्यवाद ज्ञापन से हआ।

कुल मिलकर, 150 प्रतिभागियों ने वेबिनार में भाग लिया और इसमें राज्य अधिकारी जैसे प्रधान सचिव, पंचायती राज और ग्रामीण विकास, सिक्किम, निदेशक, पंचायती राज, निदेशक और एसआईआरडी सिक्किम के संकाय, एडीसी (देव) और बीडीओ, पंचायत सभापति और सदस्य, स्वच्छ ग्राही और राज्य एसआरएलएम की टीमें शामिल हुई।

डॉ. डब्ल्यु.आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर के सुझाव के अनुसार सभी एनआईआरडीपीआर आईटीईसी अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण समन्वयकों के लिए कोविड़ - 19 को फैलने से रोकने के लिए जोखिम संचार पर एक वेबिनार टीओटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉ. रेड्डी के सुझाव की प्रतिक्रिया में, सीजीजीपीए ने सीआरयू - एनआईआरडीपीआर और यूनिसेफ हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय के समन्वय में 11 मई, 2020 को 'ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए सुशासन' पर 2018 और 2019

के सीजीजीपीए आईटीईसी प्रतिभागियों के लिए वेबिनार का आयोजन किया।

डॉ. ज्ञानमुद्रा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीजीजीपीए और निदेशक, सीआरयू, एनआईआरडीपीआर ने वेबिनार में प्रतिभागियों का स्वागत किया। एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक, डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी, आईएएस, ने अपने उद्घाटन भाषण में सभी आईटीईसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों का स्वागत किया और उनके देशों में कोविड़ - 19 महामारी के बारे में जानकारी ली। उन्होंने सभी देशों को कोविड़ - 19 महामारी के बाद पोस्ट लॉकडाउन के लिए कार्य योजना के साथ पहले से अच्छे से विचार करने का आगाह किया। चिंता प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण, पृष्ठभूमि और छोटी गतिविधि के उद्देश्य की भूमिका के साथ शुरूआत के साथ वेबिनार शुरू हुआ। पाठ्यक्रम दल ने इस शिक्षा को अगले स्तर तक ले जाने के लिए प्रतिभागियों को उपलब्ध सामग्री भी साझा की। टीम ने प्रतिभागियों के सवालों का जवाब दिया और

डॉ. के. प्रभाकर के धन्यवाद ज्ञापन से वेबिनार सत्र संपन्न हुआ।

कुल मिलाकर, 30 देशों के 45 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने वेबिनार में भाग लिया और वे सभी अपने देशों के सरकारी प्रदाधिकारी थे। डॉ. के. प्रभाकर, सहायक प्रोफेसर, सुशासन एवं नीति विश्लेषण केंद्र (सीजीजीएवंपीए) और डॉ. ज्ञानमुद्रा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीजीजीएवंपीए ने दोनों वेबिनार का आयोजन किया।

### योग्य आजीविका और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन पर दो सप्ताह का ई-प्रशिक्षण







पाठ्यक्रम निदेशकों के साथ प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर

एनआईआरडीपीआर के प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन केंद्र, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा न्यूनीकरण केंद्र (सीएनआरएम एवं सीसीडीएम) ने 27 मई, 2020 से 9 जून, 2020 तक ए-व्यू एप्लिकेशन का उपयोग करके सतत आजीविका और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन (एसएलएसीसी) पर एक ई-प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन में कोविड़ -19 संकट से उभरी चुनौतियों पर काबू पाने के लिए इस कार्यक्रम की योजना बनाई गई थी। इसलिए, एसएलएसीसी पर ई-प्रशिक्षण को ऑनलाइन मोड की जरूरतों के लिए संशोधित किया गया था और इस प्रकार मिशन स्टाफ और सामुदायिक स्रोत व्यक्तियों, अर्थात् 'जलवायु व्यवहार्य और अनुकूलन पद्धतियों के लिए समुदाय आधारित दृष्टिकोण' दोनों के लिए एनआईआरडीपीआर वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर में सूचीबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बदले आयोजित किया गया था। संपूर्ण विश्व के कुल 420 सदस्य पंजीकृत हुए जिनमें आईटीईसी, एएआरडीओ और सिर्डाप के भूतपूर्व प्रतिभागी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम)

के प्रतिनिधि, लाइन विभागों के अन्य अधिकारी, गैर-सरकारी संगठन, शोधकर्ता, प्रोफेसर और स्थायी आजीविका और कृषि संबंधी विषयों से संबंधित अन्य व्यक्ति शामिल हुए।

कार्यक्रम का उद्घाटन एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी ने किया, जिन्होंने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। कैलेंडर वर्ष के लिए एनआईआरडीपीआर का पहला सीधे ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होने के नाते, उन्होंने सीएनआरएम एवं सीसीडीएम टीम द्वारा की गई पहल की सराहना की। डॉ. रेड्डी ने वर्तमान जलवायु प्रभावों और कृषि क्षेत्र में अनुकूली रणनीतियों के कार्यान्वयन की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जो भारत का आधार है। उन्होंने मध्य प्रदेश और बिहार में लागू की गई एसएलएसीसी परियोजना की सफलता की कहानियों पर भी प्रकाश डाला।

उद्घाटन भाषण के पश्चात्, पाठ्यक्रम निदेशक डॉ. एस. गवली, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीएनआरएम और सीसीडीएम, डॉ. के. कृष्णा रेड्डी, एसोसिएट प्रोफेसर और डॉ. सुबरत के मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ने कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय दिया और कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम सूची एवं प्रदेय पर चर्चा की। कार्यक्रम के पाठ्यक्रम निदेशक डॉ. एस. गवली ने जलवायु परिवर्तन और जल, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर एक सत्र का संचालन किया।

एसएलएसीसी ई-प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, एनआईआरडीपीआर, आईसीएआर-सीआरआईडीए, आईसीएआर - नार्म और बीईएसए आदि के विभिन्न स्रोत व्यक्तियों ने विभिन्न जलवायु- व्यवहार्य हस्तक्षेप / प्रौद्योगिकियों के बारे में प्रतिभागियों को बताया।

कार्यक्रम के दौरान प्रमुख मुद्दों को शामिल किया गया जैसे कि जलवायु परिवर्तन और पानी, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर इसका प्रभाव, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना (सीसीएपी), चावल में अनुकूलन पद्धतियां (डीएसआर, एम्एसआरआई, एमटी, एडब्ल्युडी, आदि), मृदा स्वास्थ्य और पोषक तत्व प्रबंधन, मौसम आधारित कृषि सलाहकार सेवाएं (डब्ल्युबीएसएस), फसल बीमा, लघु जोताई की खेती और बैकयार्ड मुर्गी पालन, पशुधन और डेयरी फार्मिंग: चारा फसलों का उत्पादन और प्रबंधन, वैकल्पिक आजीविका (एजोला, मशरूम, किचन गार्डन) और प्रमुख कार्यक्रमों का अभिसरण। दैनिक कार्यक्रम में एक विशेषज्ञ सत्र शामिल था, जिसके बाद विषय से संबंधित एक आतंरिक दस्तावेजी फिल्म की स्क्रीनिंग की गई और विषय के लिए तैयार किए गए मामला अध्ययन पर चर्चा के साथ संपन्न हुआ। प्रतिभागियों को लाइब्रेरी रिकॉर्डिंग के माध्यम से और गूगल ड्राइव लिंक के माध्यम से अध्ययन सामग्री, मामला अध्ययन, फिल्में और दैनिक सत्र के उपयोग में हर समय नि:शुल्क प्रवेश दिया गया।

प्रतिभागियों को विभिन्न जलवायु व्यवहार्य प्रौद्योगिकियों के ज्ञान को समझने के अलावा, उन्हें पहले एसएलएसीसी परियोजना से लघु फिल्मों और सफलता की कहानियों को दर्शाया गया, जिससे प्रतिभागियों में अधिक उत्साह और रुचि हुई । विधि ने विभिन्न तकनीकों के क्षेत्र स्तर के जोखिम की भरपाई की है । प्रत्येक दिन के अंत में, प्रतिभागियों का ध्यान बनाए रखने और उनके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए एक प्रश्लोत्तरी आयोजित की गई । उपरोक्त तकनीकी मुद्दों के अलावा, स्रोत व्यक्तियों ने आभासी बातचीत और चैट के माध्यम से प्रतिभागियों के संदेहों का समाधान किया।

कार्यक्रम के अंतिम दिन, प्रतिभागियों को अपने अनुभव व्यक्त करने का अवसर दिया गया और कई प्रतिभागियों ने प्रत्येक विषय को संप्रेषित करने के तरीके और सामग्री की सराहना की। प्रतिभागियों ने जलवायु परिवर्तन और आपदा न्यूनीकरण विषय से संबंधित अधिक पाठ्यक्रमों में शामिल होने के लिए अपनी इच्छ व्यक्त की । कार्यक्रम के अंत में, प्रतिभागियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का आकलन करने के लिए एक विस्तृत प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की गई।

प्रमाणन की आवश्यकता को पूरा करते हुए 420 पंजीकृत प्रतिभागियों में से 1 2 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों सहित कुल 131 (पुरुष -100 और महिला -31) नियमित रूप से कार्यक्रम में शामिल हुए अर्थात् 70 प्रतिशत उपस्थिति और प्रश्लोत्तरी के लिए अर्हता प्राप्त की । भारतीय प्रतिभागियों में से 19 राज्य जिनमें महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सबसे अधिक संख्या में हैं । भारतीय प्रतिभागियों में, लाइन विभाग के अधिकारी 52, इसके बाद शिक्षण व्यवसाय से 46 प्रतिभागी, 526 अनुसंधान विद्वान और गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य व्यक्ति सहित 8 अन्य शामिल थे । कार्यक्रम का समन्वय डॉ. रवींद्र गवली, डॉ. कृष्ण रेड्डी और डॉ. सुब्रत मिश्रा ने किया ।

### ग्रामीण आजीविका के पुनःप्रवर्तन पर एनआईआरडीपीआर और आईएसएलई ने वेबिनार का आयोजन किया



वेबिनार के दौरान पैनल के सदस्य

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद के एस.आर. शंकरन चेयर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स (आईएसएलई), नई दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से ग्रामीण आजीविका चुनौतियाँ, अवसर और भावी दिशा के पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण पर 20 मई, 2020 को एक वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार का मुख्य उद्देश्य कोविड़ - 19 महामारी और उसके बाद लॉकडाउन के कारण ग्रामीण आर्थिक संकट पर चर्चा करना रहा। वेबिनार में ग्रामीण भारत में आजीविका के पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण से संबंधित मुद्दों पर निम्नलिखित के संदर्भ में चर्चा की (i) वेबिनार रणनीतियों के दौरान पैनल के राहत और पुनरुद्धार

के सदस्यों की पहुंच, पर्याप्तता और प्रभावशीलता। (ii) संस्थानों की क्षमता और सामान्य स्थिति में लौटने की चुनौतियाँ; तथा (iii) त्वरित और समावेशी आर्थिक सुधार के लिए अल्पकालिक, मध्यम अविध और दीर्घाविध के उपाय।

चार प्रख्यात पैनलिस्ट 1) प्रो. अभिजीत सेन, पूर्व प्रोफेसर, जेएनयू नई दिल्ली और पूर्व सदस्य, योजना आयोग 2) श्री एस.एम. विजयानंद (आईएएस, सेवानिवृत्त), पूर्व सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार 3) श्री निखिल डे, सामाजिक कार्यकर्ता, मजदूर किसान शक्ति संगठन, राजस्थान और 4) प्रो. डी. एन. रेड्डी, अर्थशास्त्र के पूर्व प्रोफेसर, हैदराबाद विश्वविद्यालय ने इस विषय पर अपने विचार साझा किए। इन विपुल वक्ताओं ने न केवल

प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण के एक सुगम रास्ते की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने और कार्य योजना पर भी प्रकाश डाला । इस वेबिनार की अध्यक्षता और संचालन एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी ने किया, जिन्होंने प्रमुख ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थानों के पुनःअभिमुखीकरण के बारे में बताया ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूर्व-कोविद अविध तक वापस लाया जा सके।

इस वेबिनार का संयोजन संयुक्त रूप से प्रो. राजेंद्र पी. ममगई (एस. आर. शंकरन चेयर प्रोफेसर) और डॉ. पार्थ प्रतीम साहू, उद्यमिता विकास और वित्तीय समावेशन केंद्र, एनआईआरडीपीआर द्वारा किया गया।

# छात्रों में सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए ग्रामीण तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना



श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उपमहानिदेशक, एनआईआरडीपीआर रंगा रेड्डी जिले के तालाकोंडापल्ली के प्राथमिक स्कूल में सौर ऊर्जा संचालित प्रकाश और शीतलन प्रणाली का उद्घाटन करते हुए

शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थित (एएसईआर ग्रामीण) – 2018 भारत के ग्रामीण स्कूलों में शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए सक्रिय कदम उठाने का आह्वान किया । अध्ययन के अनुसार, ग्रामीण स्कूलों में छात्रों का नामांकन 2010 के बाद से 96 प्रतिशत से अधिक है। हालाँकि, 60 प्रतिशत की निम्न उपस्थिति दर, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और मणिपुर जैसे राज्यों के स्कूलों में अभी भी एक प्रमुख चिंता का विषय है। साथ ही, सीखने के स्तर के परीक्षण परिणाम से पता चलता है कि केवल एक चौथाई छात्रों ने ही परीक्षा दी थी।

पिछले कुछ वर्षों में, यह धारणा प्रबल हुई है कि केवल शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के बजाय बच्चों की समग्र सीखने की क्षमता में सुधार हेतु स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। यद्यपि इस मुद्दे का समाधान करने के लिए इनमें से कई पहल की जा रही हैं, लेकिन कक्षाओं में लाईट और पंखे सुनिश्चित करने के लिए बिजली की व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।

सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले वाक्यांश के विपरीत "चलो वहां प्रकाश हो" जो बेहतर ज्ञान और ज्ञान की प्राप्ति को सुदृढ़ करता है, भारत के अधिकांश भागों में स्कूल में अंधेरा है। परिणामस्वरूप, बच्चों के साथ-साथ शिक्षक भी गर्मी के मौसम में बहुत विषम वातावरण में रहते हैं क्योंकि कक्षाओं में पंखे नहीं होते हैं। सर्दियों में, ठंड के कारण जब अपारदर्शी लकड़ी की खिड़की के शटर बंद करने पड़ते हैं, तो लाईट नहीं होती है।

वर्ष 2016-17 के लिए शिक्षा हेतु जिला सूचना प्रणाली (डीआईएसई) द्वारा भारत भर में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के स्कूलों के लिए विद्युतीकरण का राज्य-वार डेटा इस मुद्दे को श्रेय देता है। आंकड़ों के अनुसार, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल श्रेणियों में भारत में बिजली की एक्सेस वाले स्कूलों का प्रतिशत क्रमशः 64.4 प्रतिशत और 91 प्रतिशत रहा है।

इन मुद्दों को देखते हुए और स्वर्गीय टीएल शंकर, आईएएस, पूर्व ऊर्जा सचिव, जीओआई, (पद्म भूषण अवार्डी) के प्रोत्साहन के साथ, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) ने तालकोंडापल्ली मंडल, महबूबनगर जिला और कडताल मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना राज्य के 26 स्कूलों में प्रकाश और शीतलन उद्देश्यों के लिए सौर स्थापना को बढ़ावा दिया । इस पहल को श्री मल्ली वरनाशी, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक एनआरआई द्वारा वित्त पोषित किया गया।

हालांकि 26 स्कूल ग्रिड से जुड़े थे, स्थिति यह थी कि केवल कार्यालय के कमरों में रोशनी और पंखे थे। धन की कमी के कारण कुछ स्कूल बिजली शुल्क का भुगतान नहीं कर रहे थे, जो कि रु. 5000 से रु. 10,000 प्रति वर्ष था। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, राज्य शिक्षा विभाग की मदद से, आंगनवाड़ियों और प्राथमिक स्कूलों में 0.3 किलोवाट से लेकर 2 किलोवाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा सिस्टम स्थापित किए गए।

बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए, छत-पर सौर पैनलों को इन स्कूलों में बैटरी सिस्टम और इन्वर्टर से जोड़ा गया है। इन 26 स्कूलों में सभी कक्षाओं में दो लाईट और पंखे दिये गये है। इसके फायदे को जानने के बाद, कुछ स्कूलों ने नियमित ग्रिड बिजली कनेक्शन से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर दिया है और सौर ऊर्जा प्रणाली के साथ अपनी बिजली की जरूरतों का प्रबंधन कर रहे हैं।

बच्चे, जो मुख्य रूप से गरीब परिवारों से हैं, को अपनी कक्षाओं में लाईट और पंखे देखने के लिए बहुत अधिक मज़ा आता है। जिन स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड की सुविधा है, वहां के छात्रों ने बताया कि वे बिना किसी रुकावट के स्मार्ट बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। इस पहल ने बच्चों को सौर ऊर्जा की क्षमता का एहसास करने का अवसर दिया है।

यद्धिप सौर ऊर्जा स्थापना के लिए प्रारंभिक निवेश के उच्च स्तर की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके द्वारा प्राप्त होने वाला समग्र लाभ बहुत अधिक होता है। वर्तमान में, 1 के.डब्ल्यु और 2 के.डब्ल्यु क्षमता वाली ऑफ-ग्रिड सौर प्रणाली, जिसमें बैटरी, वायिरंग, लाइट और पंखे शामिल हैं, की कीमत लगभग 1 लाख 50 हजार और 3,00,000 रुपये क्रमशः, प्रति विद्यालय होगा। औसतन, 1 के.डब्ल्यु और 2 के.डब्ल्यु सिस्टम क्रमशः 10 कक्षाओं और 20 कक्षाओं को बिजली प्रदान कर सकते हैं।


सौर प्रणालियों की मरम्मत और रखरखाव का समर्थन करने के लिए, स्कूलों में समस्या मुक्त रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कौशल के साथ एक केंद्रीय कोर टीम का गठन जिला स्तर पर किया गया है। इसके अलावा, बिजली के बिलों के भुगतान के लिए खर्च की जा

रही राशि में से एक स्कूल या जिला स्तरीय कोष बनाना बैटरी और सौर पैनलों के प्रतिस्थापन की लागत को पूरा करने के लिए आरक्षित किया जा सकता है । औसतन, बैटरी को पांच साल बाद बदलने की जरूरत होती है और सौर पैनलों का जीवनकाल 20 साल का होता है।

यह पहल इस बात के उदाहरण के रूप में है कि सरकार स्कूलों में सीखने के उचित माहौल को कैसे सुनिश्चित कर सकती है । सरकार के अलावा, कंपनियों के दाताओं और कॉपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल इस पहल की नकल करने पर विचार कर सकती हैं । एनआईआरडीपीआर इस महान पहल को बढ़ावा देने के लिए बहुत आवश्यक तकनीकी सहायता देने को तैयार है ।

### **डॉ. रमेश सक्तिवेल** इसर एवं अध्यक्ष (प्रभारी).

एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (प्रभारी), श्री मोहम्मद खान,वरिष्ठ सलाहकार नवोन्मेषण और उपयुक्त प्रौद्योगिकी केंद्र (सीआईएटी), एनआईआरडीपीआर



भारत में वर्ष 2016-17 तक विद्युतीकृत विद्यालयों का राज्य वार प्रतिशत

### पंद्रहवां वित्त आयोग और पंचायत राज संस्थान को अनुदान



घरेलू उद्देश्यों की क्षेत्रों के लिए जल लाने वाले ग्रामीणों की एक फाइल फोटो । वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए मूल अनुदान का उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा पेयजल की आपूर्ति, स्वच्छता, वर्षा जल संचयन आदि की विशेष जरूरतों के लिए किया जा सकता है ।

भारत के राष्ट्रपति द्वारा 27 नवंबर, 2017 को संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-एक्सवी) का गठन किया गया था। आयोग का मुख्य कार्य 1 अप्रैल, 2020 से शुरू होने वाले पांच साल के लिए सिफारिशें करना है । आयोग ने फरवरी में एक वर्ष 2020-2021 की अवधि के लिए अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की । पांच साल 2021-2026 की अवधि के लिए अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर 2020 में सौंपे जाने की उम्मीद है। वित्त आयोग की मुख्य भूमिका, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच साझा किए गए करों के वितरण पर सिफारिशें देना है । 73 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की शुरूआत के बाद जो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के निर्माण के बारे में बताता है, वित्त आयोग ने केंद्र की आय को पंचायतों के साथ भी साझा करने पर विचार किया है। दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद, केंद्र की ओर से पंचायतों को अनुदान दिया गया है । तालिका 1 हमें वित्त आयोग द्वारा पंचायतों को समय-समय पर दिए गए अनुदान के बारे में दर्शाता है:

वित्त आयोग-XV ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में वर्ष 2020-21 के लिए पीआरआई को 60,750 करोड़ रुपये की राशि देने की सिफारिश की है। 5 वीं और 6 वीं अनुसूची क्षेत्रों सहित पंचायतों - गाँव, ब्लॉक और जिले के सभी स्तरों को अनुदान प्राप्त होगा। यह गाँवों और ब्लॉकों में टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति बनाने और उनकी कार्यात्मक क्षमता में सुधार करने के लिए संसाधनों की पूलिंग को सक्षम करेगा। राज्यों के बीच स्थानीय निकायों के लिए अनुदान का वितरण 90:10 के अनुपात में जनसंख्या और क्षेत्रफल पर आधारित है। राज्यों द्वारा पीआरआई के बीच उस प्रयोजन के लिए वितरणनिम्न बैंड के अनुरूप किया जाएगा:

ग्राम पंचायतों के लिए 70 से 85 प्रतिशत

ब्लॉक पंचायतों के लिए 10 से 25 प्रतिशत

जिला पंचायतों के लिए 5 से 15 प्रतिशत

गोवा, सिक्किम और मणिपुर में, जिनकी दो स्तरीय प्रणाली है, आबंटन ग्राम पंचायतों के लिए 70-85 प्रतिशत और जिला पंचायतों के लिए 15-30 प्रतिशत बैंड में होगा। एक बार जब राज्य स्तरीय अनुदान प्रत्येक स्तर के लिए निर्धारित किया जाता है, तो राज्य भर में स्थानीय निकायों के बीच अंतर-

स्तरीय वितरण 90:10 के अनुपात में या नवीनतम एसएफसी की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार आबादी और क्षेत्र के आधार पर होना चाहिए।

### अनुदानों का उपयोग:

प्रामीण स्थानीय निकायों और 5 वीं एवं 6 वीं अनुसूची क्षेत्रों के लिए अनुदान 50:50 के अनुपात में मूल और सीमित अनुदान के रूप में वितरित किए जाएंगे। मूल अनुदानों का उपयोग नहीं किया जाता है और इसका उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। सीमित अनुदान का उपयोग मूल सेवाओं के लिए किया जा सकता है। किया जा सकता है जैसे:

क) पेयजल की आपूर्ति

ख) स्वच्छता और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन

ग) खुले में शौच मुक्त स्थिति का रखरखाव

घ) वर्षा जल संचयन; और

ङ) जल का पुनः उपयोग ।

सारणी-1: 1995 से पंचायतों को वित्त आयोग अनुदान				
सीएफसी (पुरस्कार अवधि)	मूल अनुदान	निष्पादन अनुदान	कुल रुपए करोड़ों में	
10 ਗੇਂ - 1995-2000	4,380.93	0.00	4,380.93	
11 वीं -2000-2005	7,323.45	0.00	7,323.45	
12वीं -2005-2010	20,000.00	0.00	20,000.00	
13वीं-2010-2015	41,224.60	21,825.85	63,050.45	
14वीं - 2015-2020	1,80,262.98	20,029.22	2,00,292.20	
15 वीं - 2020-21 (एक वर्ष के लिए)	60,750.00	0.00	60,750.00	

पीआरआई, जहाँ तक संभव हो, सीमित अनुदानों में से आधे को इन दो महत्वपूर्ण सेवाओं, अर्थात, स्वच्छता और पीने के पानी के लिए प्रदान करता है। हालांकि, अगर किसी भी स्थानीय निकाय ने एक श्रेणी की जरूरतों को पूरी तरह से संतृप्त किया है, तो वह अन्य श्रेणी के लिए धन का उपयोग कर सकता है। सीमित अनुदानों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान और जल जीवन मिशन के लिए आबंटित धनराशि से अधिक के रूप में माना जाना चाहिए। हालांकि, अगर किसी भी स्थानीय निकाय ने एक श्रेणी की जरूरतों को पूरी तरह से संतृप्त किया है, तो वह अन्य श्रेणी के लिए धन का उपयोग कर सकता है। राज्य वित्त आयोग-XV अनुदान के उपयोग के लिए विस्तृत दिशानिर्देश बनाएंगे।

#### अनुदानों को जारी करना:

सभी पीआरआई को अनुदान की दो समान किश्तों में अर्थात जून 2020 और अक्टूबर 2020 में जारी किया जाएगा । राज्य सरकार से प्राप्त 10 कार्य दिवसों के अंदर राज्य संबंधित स्थानीय निकायों को अनुदान हस्तांतरित किया जाएगा । 10 कार्य दिवसों से हटकर किसी भी देरी के लिए राज्य सरकारों को पिछले वर्ष के लिए राज्य द्वारा बाजार उधार पर लागू ब्याज दर के अनुसार ब्याज देने की आवश्यकता होगी।

#### अन्य गैर-वित्तीय सिफारिशें:

वित्त आयोग- X V की गैर-वित्तीय सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

- क) पीआरआईए को प्रिया साफ्ट में एक उन्नत लेखा कोड संरचना में वर्तमान चार स्तर से छः-स्तरीय संरचना में केंद्र और राज्य सरकारों को अनुसरण करना होगा।
- ख) प्रियासॉफ्ट को राज्य सरकारों के एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली

(आईएफएमआईएस) और लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है।

ग) प्रत्येक ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा ऑनलाइन खाते तैयार करना। राज्य और अखिल भारतीय स्तर पर ऐसे खातों और उनके समेकन की ऑनलाइन ऑडिटिंग सक्षम करना।

### वित्त आयोग-xv निधियों की प्रभावी योजना और उपयोग के लिए पंचायतों की जिम्मेदारियां:

एफसी-एक्सवी अनुदानों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम पंचायतों को अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में संशोधन करना होगा, जो 2020-21 के लिए पहले से ही तैयार किया गया है, यह सुनिश्चित करना है कि 50 प्रतिशत निधि जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए सख्ती से आबंटित किया जाता है। इसके लिए पंचायतों को निम्न की आवश्यकता है:

- क) सुरक्षित स्वच्छता को अपनाने को बढावा देना
- ख) समुदाय द्वारा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्युएम) और स्वच्छता पद्धतियां
- ग) मुख्य रूप से गाँव में सभी प्रकार के अपशिष्टों के पृथक्करण के लिए अपशिष्ट प्रबंधन के समाधान को अपनाना
- घ) समुदाय नेतृत्व वाली कार्रवाई के माध्यम से स्वच्छता सुविधाओं का रखरखाव, उन्नयन और मरम्मत करना
- ङ) जल आपूर्ति योजना का संचालन और

रखरखाव (ओ एंड एम) की जिम्मेदारी लेना

- च) पानी और स्वच्छता सुविधाओं के प्रबंधन और रखरखाव में सामुदायिक स्वामित्व को प्रोत्साहित करना।
- छ) जल स्रोतों के संवर्द्धन सहित जल संरक्षण के लिए कदम उठाना।

### वित्त आयोग- x v के तहत पंचायतें जिन गतिविधियों को आरंभ कर सकती हैं उन क्रियाकलापों की विस्तृत सूची:

अप्राप्त अनुदानों से स्थान-विशिष्ट जरूरतों को प्रदान करने के लिए, ग्राम पंचायतों द्वारा निम्नलिखित गतिविधियाँ की जा सकती हैं:

- 1. आंतरिक सड़कों / नालियों / सामुदायिक हॉल / सामुदायिक कार्यशैली / तूफानी जल निकास आदि का निर्माण
- 2. सड़कों / पैदल रास्तों / सामुदायिक परिसंपत्तियों / पार्कीं / पार्किंग स्थानों आदि का रखरखाव।
- 3. स्टीट-लाइटिंग
- 4.कब्रिस्तान और श्मशान घाट
- 5. मार्केट शेड / मार्केटिंग की सुविधा
- 6. ग्राम सभा में पहचानी गई किसी भी अन्य जरूरतें।

सीमित अनुदान से बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए, ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां की जा सकती हैं:

#### पेयजल

- 1. जल जीवन मिशन की योजना और कार्यान्वयन
- 2. पेयजल स्रोत का विकास / मौजूदा स्रोतों का संवर्द्धन
- 3. हर घर (55 एलपीसीडी) / स्कूलों / आईसीडीएस के लिए गाँव में नल के पानी का कनेक्शन
- 4. पूंजीगत लागत के लिए 10 प्रतिशत सार्वजनिक योगदान बढ़ाएँ
- 5. पाइप जलापूर्ति योजनाओं का रखरखाव और सेवास्तर को ऊपर उठाना
- 6. पानी को पीने योग्य बनाने के लिए उपचार तकनीकी हस्तक्षेप का उपयोग
- 7. सभी जलापूर्ति संपत्ति की जियोटैगिंग
- 8. वीडब्ल्युएचएससी को सक्रिय करना।

### सारणी-2: राज्यों में वित्त आयोग-xv सिफारिश (2020-2021) के अनुसार ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए सहायता अनुदान

राज्य	राजस्व घाटा अनुदान	ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान	ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान में राज्य का हिस्सा
आन्ध प्रदेश	5,897	2,625	4.32
अरुणाचल प्रदेश	-	231	0.38
असम	7,579	1,604	2.64
बिहार	=	5,018	8.26
छत्तीसगढ	=	1,454	2.39
गोवा	-	75	0.12
गुजरात	-	3,195	5.26
हरियाणा	-	1,264	2.08
हिमाचल प्रदेश	11,431	429	0.71
झारखंड	-	1,689	2.78
कर्नाटक	-	3,217	5.29
केरल	15,323	1,628	2.68
मध्यप्रदेश	-	3,984	6.56
महाराष्ट्र	=	5,827	9.59
मणिपुर	2,824	177	0.29
मेघालय	491	182	0.3
मिजोराम	1,422	93	0.15
नागालैंड	3,917	125	0.21
उड़ीसा	-	2,258	3.72
पंजाब	7,659	1,388	2.29
राजस्थान	-	3,862	6.36
सिक्किम	448	42	0.07
तमिलनाडु	4,025	3,607	5.94
तेलंगाना	-	1,847	3.04
त्रिपुरा	3,236	191	0.31
उत्तर प्रदेश	-	9,752	16.05
उत्तराखंड	5,076	574	0.95
पश्चिम बंगाल	5,013	4,412	7.26
कुल	74,341	60,750	100

स्रोत: वर्ष 2020-21में 15 वें वित्त आयोग के लिए रिपोर्ट; पीआरएस

### वर्षा जल संचयन और जल पुन: उपयोग

- 1. जल के पुन: उपयोग और पुन: उपयोग की योजना
- 2. पारंपरिक जल संचयन संरचनाओं को पुनः प्राप्त और पुनर्जीवित करना
- 3. निर्माण और रखरखाव:
  - क) वर्षा जल संचयन संरचना
  - ख) वर्षा जल संग्रहण के लिए स्थायी भंडारण संरचना
  - ग) पूरक सिंचाई के लिए अपवाह जल के संग्रह के लिए खेत तालाब
  - घ) वर्षाजल के संवर्द्धन के लिए उपयुक्त स्थलों पर छिद्रिकृतटैंक
  - ई) तालाबों और जल निकायों का जीर्णोद्धार।

### स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति

- 1. एसबीएम (जी) को लागू करना
- 2. शौचालय रहित घरों की पहचान करना और शौचालय निर्माण की सुविधा प्रदान करना
- 3. स्वच्छता शिक्षा / शौचालय के उपयोग और रखरखाव को बढ़ावा देना
- 4. एसएलडब्ल्युएम के लिए सुविधाएं देना
- 5. ग्राम सभा में ओडीएफ स्थिति सत्यापन
- 6. ओडीएफ स्थिरता के लिए सामुदायिक सहभागिता
- 7. सड़कों / सार्वजनिक स्थानों / कूड़े के डिब्बे / प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना
- 8. गाँवों में ठोस अपशिष्ट और ग्रेवॉटर प्रबंधन।

### डॉ. वाणीश्री जोसेफ

सहायक प्रोफेसर पंचायती राज, विकेंद्रीकृत योजना और सामाजिक सेवा वितरण केंद्र, एनआईआरडीपीआर चित्र सौजन्यः **डॉ. सुरजीत विक्रमण**, एसोसिएट प्रोफेसर, सीएएस, एनआईआरडीपीआर

### देवनाथ भाटी के अनुसार, उद्यमिता अर्थात् ' कभी भी हार न मानना '



जोधपुर जिले, राजस्थान में देवनाथ भाटी की कपास की जिन्निंग इकाई; (इनसेट) देवनाथ भाटी

भारत में बेरोजगार युवा आज रोजगार के अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान भटक रहे हैं। हॉलही में, 24-वर्षीय शिक्षित देवनाथ भाटी, जो कि आसोप गाँव, भोपालगढ़ तहसील, जोधपुर जिले, राजस्थान के शिक्षित बेरोजगार युवाओं में से एक थे।

बचपन से ही, अपने पिता की कम आय के कारण, देवनाथ को हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, जिसके बावजूद बच्चों की शिक्षा कुछ ऐसी थी, जिस पर उनके परिवार ने कभी समझौता नहीं किया। अपनी स्नातक (बी.ए) की पढ़ाई पूरी करने के बाद, देवनाथ को बेरोजगारी के एक लंबे दौर से गुजरना पड़ा। जब वह आशा खोने की कगार पर था, तो आईसीआईसीआई आरसेटी टीम एक उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी) का संचालन करने के लिए उनके गाँव आयी। वह खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्होंने जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम ने उन्हें देश भर के विभिन्न जिलों में स्थित आरसेटी के माध्यम से एमओआरडी द्वारा आयोजित विभिन्न निःशुक्क कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जानकारी टी।

बेहतर भविष्य की आशा के साथ देवनाथ ने आईसीआईसीआई जोधपुर आरसेटी में आयोजित (प्रशिक्षण बैच संख्या 155, 15 नवंबर 2013 से 15 दिसंबर 2013 तक) कॉटन जिन्निंग एंड फिटिंग कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में खुद को नामांकित करने का निर्णय लिया।

देवनाथ के अनुसार, आईसीआईसीआई आरसेटी में प्रदान किया गया कौशल प्रशिक्षण बहुत उपयोगी और प्रभावी था। सैद्धांतिक ज्ञान के अलावा, उन्होंने मशीनरी को तैयार करने का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। उन्होंने विभिन्न उद्यमी और व्यावहारिक साफ्ट कौशल में भी गहनर्दिष्टि प्राप्त की. जिसने उन्हें

एक महत्वाकांक्षी उद्यमी बनाने में मदद की।

अपने प्रशिक्षण को पुरा करने के बाद, उन्होंने खुद से शुरुआत करने से पहले कुछ अनुभव हासिल करने का फैसला किया और इसलिए, उन्होंने न्यूनतम मजदुरी के साथ छह महीने के लिए एक ठेकेदार के साथ काम किया । धीरे-धीरे उन्हें उद्यमी बनने का विश्वास हुआ । आईसीआईसीआई जोधपुर आरसेटी के मार्गदर्शन के साथ, उन्होंने पीएमईजीपी (प्रधान मंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम) के तहत ऋण के लिए आवेदन किया । देना बैंक-आसोप शाखा, जोधपुर जिले द्वारा उन्हें रु. 25,00,000 की राशि स्वीकृत की गई थी । उन्होंने अपने परिवार की बचत से रु. 2,50,000 को ऋण राशि के साथ जोड़ा और 2014 में अपना खुद का छोटा उद्यम शुरू किया । चूंकि कॉटन गिन्नी का व्यापार मौसम के समय होता है, इसलिए उन्हें शुरू में बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन निरंतरता और विकास के लिए पूरी लगन और दृढ़ संकल्प के साथ, उन्होंने आखिरकार अपनी पहचान बनाई।

आज, देवनाथ रुपये 1,75,000 के मासिक कारोबार के साथ एक खुश और सफल उद्यमी है। उन्होंने अपनी गतिविधियों में मदद के लिए आठ लोगों को नियुक्त किया है। वह महत्वाकांक्षी है और उसके पास भविष्य के विस्तार की योजना है, जिसमें से एक निकट भविष्य में अपने कारखाने में एक प्रेस मशीन स्थापित करना है जिससे कुछ और लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर सकता है और इस प्रकार अपने गांव में अधिक परिवारों को आजीविका प्रदान कर सकता है।

देश भर के विभिन्न जिलों में स्थित आरसेटी के माध्यम से ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को निशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रति देवनाथ आभारी है। देवनाथ ने खुशी से कहा कि उन्होंने आईसीआईसीआई जोधपुर आरसेटी में अपने प्रशिक्षण का आनंद लिया जो देश में एक अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र है जिसमें अच्छे माहौल और अच्छी प्रशिक्षण सुविधाएं हैं जैसा कि आईसीआईसीआई आरसेटी जोधपुर ने आईजीबीसी रेटेड नेट ज़ीरो एनर्जी - प्लेटिनम' पुरस्कार जीता है, वह पुरस्कार - विजेता प्रशिक्षण परिसर में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने पर गर्व महसस कर रहा है।

अपनी सफलता के रहस्य के बारे में पूछे जाने पर, देवनाथ भाटी ने चुटकी लेते हुए कहा, "मेरे हाथों में जादू की छड़ी है। और यह मेरी सफलता की कुंजी है।"

एनआईआरडीपीआर में आरसेटी परियोजना केंद्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय से अनुदान सहायता की मदद से आरसेटी प्रायोजक बैंकों द्वारा निर्मित, आरसेटी भवनों के निर्माण के लिए एमओआरडी की बुनियादी ढांचा अनुदान सहायता नीति के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है । एनआईआरडीपीआर में आरसेटी परियोजना केन्द्र आईसीआईसीआई आरसेटी जोधपुर जैसी अत्याधुनिक इमारत पर गर्व करता है, जहाँ भारत के प्रमुख आर्थिक मुद्दों जैसे गरीबी और बेरोजगारी का समाधान करने के लिए उद्यमिता उपक्रमों को सक्षम करने के लिए ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को नि: शुल्क कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं।

सुश्री पी. चंपकवल्ली परियोजना निदेशक, श्री मोहम्मद खान परियोजना प्रबंधक आरसेटी परियोजना, एनआईआरडीपीआर

### एनआईआरडीपीआर के साथ कपार्ट का विलय; अब यह एनआईआरडीपीआर - दिल्ली शाखा बनी



हैदराबाद में एनआईआरडीपीआर प्रवेश (बाएं) और कैरियर मार्गदर्शन केंद्र, वैशाली, बिहार (दाएं)

लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट), नई दिल्ली को राष्ट्रीय ग्रामीण पंचायती राज (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद में शामिल किया गया है। विलय 1 मई, 2020 से लाग हो गया है। एनआईआरडीपीआर के साथ कपार्ट के विलय को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2019 में मंजुरी दी थी।

विलय के उपरांत, तत्कालीन कपार्ट, नई दिल्ली में इंडियन हैबिटैट सेंटर और जनकपुरी में स्थित कार्यालय को अब एनआईआरडीपीआर, नई दिल्ली शाखा कहा जाएगा। 1 मई, 2020 से कपार्ट के सभी वर्तमान कर्मचारी और संसाधन एनआईआरडीपीआर के नियंत्रण में होंगे।

दिल्ली में तत्कालीन कपार्ट की सुविधाओं में वैशाली में इंडिया हैबिटेट सेंटर, जनकपुरी और कैरियर गाइडेंस सेंटर (सीजीसी) में एक कार्यालय शामिल हैं जो एनआईआरडीपीआर की प्रक्रियाओं के अनुसार काम करने जा रहे हैं । सीजीसी, वैशाली, बिहार सीजीसी-वैशाली के लिए वही नाम और संपर्क जारी रखेगा. नवाचार एवं प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग केन्द्र (सीआईईटी), एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद इसके अध्यक्ष होंगे। तत्कालीन कपार्ट की सभी मौजदा ई-फाइलों को एनआईआरडीपीआर ई-ऑफिस में अंतरित किया जाएगा ।

- सीडीसी पहल

### भारत सरकार सेवार्थ





राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030

टेलिफोन: (040)-24008473, फैक्स: (040)-24008473 ई मेल : cdc.nird@gov.in, वेबसाईट: www.nirdpr.org.in













डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर

सहायक संपादक: कृष्णा राज के.एस. विक्टर पॉल

जी. साई रवि किशोर राजा

एनआईआरडी एवं पीआर राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030 की ओर से डॉ. आकाँक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीडीसी द्वारा प्रकाशित

#### हिन्दी संपादनः

अनिता पांडे हिन्दी अनुवाद: ई. रमेश, वी. अन्नपूर्णा, रामकृष्णा रेड्डी









प्रगति, मई 2020 एनआईआरडीपीआर 16